BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 350 OF 2024

IN THE MATTER OF

Amit Kumar & Anr. .....Applicants

VERSUS

Union of India & Ors. .....Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Applicants' Submission in Response to the Reply of the Respondent Nos. 11, 12, and 13	**2-4**
2.	**Annexure R-1 (colly):** Copy of the news article showing the impact of illegal gravel mining and encroachment activities in Krishnawati riverbed in the Mahendrgarh district of Haryana	**5-8**

Filed by:

Applicant

Amit Kumar

Dated: 01.10.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 350 OF 2024

IN THE MATTER OF

Amit Kumar & Anr. .....Applicants

VERSUS

Union of India & Ors. .....Respondents

Applicants' Submission in Response to Reply of Respondent Nos. 11, 12, and 13

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the above-captioned Original Application (OA) has been preferred before this Hon'ble Tribunal concerning the degradation of the Kasawati/Krishnawati River due to illegal mining/stone-crushing activities and environmental encroachments in both the Neem Ka Thana district of Rajasthan and the Mahendragarh district of Haryana.
2. That the Respondent Nos. 11, 12, and 13 submitted their reply dated 01.10.2024 to the Original Application, wherein the Respondent Nos. 11, 12, and 13 have denied responsibility for the degradation of the river, attributing the environmental issues to the lack of water flow from Rajasthan and claiming that there are no illegal activities within Haryana's jurisdiction. This submission, however, overlooks several important factors related to the responsibilities of the Respondent Nos. 11, 12, and 13 and the ongoing environmental damage to the river within their jurisdiction.
3. That the claim of Respondent Nos. 11, 12, and 13 that the primary cause of the environmental degradation of the Krishnawati River within Haryana is the lack of water flow from Rajasthan due to the construction of check dams is noted. However, this does not absolve the Respondents from their responsibility to regulate and prevent illegal mining and encroachments within its own jurisdiction.

It is submitted here that the environmental degradation of the Krishnawati River in the Mahendragarh district is not merely the result of upstream actions but also due to the illegal stone-crushing activities and other violations occurring within Haryana's territory, which the Respondents have failed to address.

Copy of the news article showing the impact of illegal gravel mining and encroachment activities in Krishnawati riverbed in the Mahendrgarh district of Haryana are annexed as **Annexure R-1 (colly).**

4. It is submitted that the groundwater depletion in the Mahendragarh district is a significant concern, worsened by the illegal mining and stone-crushing operations. Despite the water scarcity issues, the Respondent No. 11, 12, and 13 have not taken concrete steps to prevent further over-extraction of groundwater or to regulate the water usage of industries operating in the area, contributing to the environmental degradation of the river and the surrounding ecosystems, and is in direct violation of the provisions of the *Haryana Water Resources (Conservation, Regulation and Management) Authority Act, 2020.*
5. That the *Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974*, and the *Environment (Protection) Act, 1986* impose an obligation on the State Pollution Control Boards and other authorities to prevent and control environmental degradation, including illegal activities that adversely impact water bodies such as the Krishnawati River.

PARAWISE REPLY:

6. That the contents of **Para 1 and 2** are a matter of fact, hence no response is required.
7. That in response to the content of **Para 3**, it is respectfully submitted that while the construction of check dams by Rajasthan may have reduced water flow, attributing the complete lack of flow in Mahendragarh solely to this is misleading. The illegal mining and encroachments within Respondent No. 11, 12, and 13's jurisdiction are significant contributors to the obstruction of the river's flow and environmental degradation. The Respondent No. 11, 12, and 13 remains responsible for regulating these activities, regardless of upstream actions.

8. That in response to the content of **Para 4**, it is submitted that while the claims that no water flow is received from Rajasthan, the revival efforts by releasing excess canal water during the rainy season are insufficient and sporadic at best. These temporary measures do not address the long-term ecological degradation caused by illegal mining and encroachments on the Krishnawati river. Under the *Environment (Protection) Act, 1986*, the Respondents are required to undertake sustainable measures for the preservation and revival of the river ecosystem, which has not been adequately pursued.

9. That in response to the content of **Para 5**, it is respectfully submitted that while the District Administration Mahendergarh claims to be taking steps for the rehabilitation and revival of the Krishnawati River, there is no material evidence on record provided with details of such actions taken by the respondent to substantiate these claims before this Hon'ble Tribunal.

Hence, the applicant respectfully prays that this Hon'ble Tribunal kindly take the applicant's response on record and pass any further orders or directions as may be deemed just and appropriate in the interest of justice.

Filed by:

Applicant

Amit Kumar
Dated: 01.10.2024

Annexure R-1 (colly)

जागरण

होम ताज़ा चुनाव 2024 ब्रेकिंग राष्ट्रीय दुनिया मनोरंजन क्रिकेट लाइफस्टाइल MORE

शहर चुने ई-पेपर वेब स्टोरीज़ वीडियो Search Menu

अवैध बजरी खनन से ग्रामीणों का जीना हुआ मुश्किल

कृष्णावती नदी सहित साथ लगते खेतों में अवैध बजरी खनन ने रफ्तार पकड़ ली है।

BY JAGRAN
EDITED BY:
UPDATED: TUE, 27 OCT 2020 07:26 PM (IST)

अवैध बजरी खनन से ग्रामीणों का जीना हुआ मुश्किल

राजेश शर्मा, नांगल चौधरी: कृष्णावती नदी सहित साथ लगते खेतों में अवैध बजरी खनन ने रफ्तार पकड़ ली है। जिससे ग्रामीणों का जीना मुश्किल बना हुआ है। अवैध बजरी ढुलाई में लगे वाहन तेज गति से गांव के तंग रास्तों से गुजरते हैं। इससे हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। ग्रामीण माफिया की कई बार शिकायत कर चुके हैं। लेकिन अंकुश नहीं लग पाया है। कार्रवाई से पहले माफिया को सूचना लग जाती है। जिससे संसाधन सहित सुरक्षित स्थान पर छिप जाते हैं। कार्रवाई से बचने पर ही बजरी माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।

औद्योगिक एरिया सहित एनसीआर में बजरी की डिमांड बढ़ने के साथ ही माफिया ने बजरी खनन तेज कर दिया है। नांगल चौधरी के साथ बहने आने वाली कृष्णावती नदी इसके लिए अच्छा स्रोत रही है। लेकिन गत पंद्रह वर्षों से नदी क्षेत्र में खनन होने से बजरी की संभावना क्षीण होती गई। इससे माफिया ने अब किसानों को प्रलोभन देकर नदी क्षेत्र के साथ लगते खेतों को ठेके पर लेकर बजरी निकालना शुरू कर दिया है। जेसीबी मशीनों की सहायता से गहरे तक बजरी खनन कर ट्रैक्टरों से राजस्थान के बहरोड़, नीमराना, शाहजहांपुर, केशवाना सहित बावल और धारूहेड़ा तक बजरी भेजी जा रही है। माफिया रातभर नदी क्षेत्र में बजरी खनन करते है। इससे मशीनों के शोर से जहां जंगली जानवर बैचेन रहते हैं। वहीं गांव के अंदर से निकलने वाले ट्रैक्टरों की आवाज से ग्रामीण रात को भी चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। समस्या से ग्रस्त करीब आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने काफी समय से शिकायत करते आ रहे हैं। ग्रामीण शिकायत लेकर सीएम विडो तक भी पहुंचे। लेकिन उन्हें अवैध बजरी खनन की समस्या से निजात नहीं मिल पाई।

यहां सबसे अधिक खराब हालात नांगल कालियां, ढ़ाणी जाजमा, नौलायजा, नांगल पीपा, तोताहेड़ी, ढ़ाणी बाठोठा व मांदी के पास बने हुए है। यहां रातभर होने वाले बजरी खनन से सैकड़ों वाहन निकलते हैं। खेतों तक बजरी खनन पहुंचने से लोगों की कृषि योग्य भूमि पर संकट खड़ा हो गया है। लेकिन यदि कार्रवाई की बात की जाए तो सिर्फ पुलिस ही अवैध बजरी खनन रोकने के लिए नदी में हाथ-पांव मारती रहती है। वन व खनन विभाग की कार्रवाई अक्सर गौण ही नजर आ रही है। जिससे चर्चाएं हैं कि माफियां ने पुलिस की निगरानी के लिए जगह-जगह पर सूचना देने वाले व्यक्ति खड़ा कर दिए हैं। इससे पुलिस के लिए भी अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाना चुनौती बना हुआ है। वर्जन- अवैध बजरी खनन करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। वे रातभर गश्त कर माफिया पर निगाह रख रहे हैं। क्षेत्र में किसी भी सूरत पर अवैध गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा।

--राजकरण थाना इंचार्ज नांगल चौधरी

Link to access online:
https://www.jagran.com/haryana/mahendragarh-illegal-gravel-mining-makes-it-difficult-for-villagers-to-live-20964355.html

अमर उजाला

प्रशासनिक कार्रवाई नकारा साबित, कृष्णावती में अवैध खनन, वाशिंग प्लांटों पर नहीं लगा अंकुश

Updated Tue, 11 Jul 2017 11:03 PM IST

अमर उजाला ब्यूरो

नांगल चौधरी। कृष्णावती नदी में अवैध खनन और बजरी वाशिंग प्लांटों के खिलाफ ग्रामीण सीएम विंडो पर शिकायत हो चुकी है। इस संबंध में जिला उपायुक्त भी आदेश दे चुके हैं। इसके बाद भी इन पर अंकुश नहीं लग सका है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है।

दोस्तपुर, भेडंटी, ढाणी जाजमा, शहबाजपुर, नोलायजा, दताल के ग्रामीणों ने बताया कि कृष्णावती नदी में बजरी खनन पर प्रतिबंध है। संपूर्ण नांगल चौधरी ब्लॉक डार्कजोन होने के कारण बजरी वाशिंग प्लांट लगाना संभव नहीं है। बावजूद इसके ढाणी जाजमा, नोलायजा की सीमा में प्लांट लग गया है। पिछले दिनों शिकायत मिलने पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा था। इस दौरान दर्जनों ट्रैक्टर, जेसीबी, डंपर अवैध खनन करते मिले। टीम ने घेराबंदी कर आठ कारिंदे और संसाधनों को काबू किया था। कार्रवाई की भनक लगने पर देशराज पुत्र रामेश्वर संसाधनों को लेकर राजस्थान भाग गया था। आठ खनन माफिया की गिरफ्तारी के बाद उड़न दस्ते ने तीनों प्लांटों को तुड़वाया था। साथ ही संचालकों के खिलाफ केस दर्ज करवाकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन, विभागीय मिलीभगत के चलते प्लांट संचालकों ने दोबारा बजरी वाशिंग शुरू कर दी है। ढाणी जाजमा, शहबाजपुर की कृष्णावती नदी में धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। अंधाधुंध दोहन से भूजल स्तर 1500 फीट गहराई में पहुंच गया। अधिकांश गांवों में पेयजल समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दो साल के दौरान 15-20 बार तोड़फोड़ की कार्रवाई हो चुकी। लेकिन, 5-7 दिन बाद ही माफिया दोबारा बजरी वाशिंग करने लगता है।

अंधेरे में होता है खनन

ग्रामीणों ने बताया कि प्लांट संचालक करीब 30 फीट गहराई पर खनन कर रहे हैं। थोड़ा अंधेरा होते सैकड़ों ट्रैक्टर, डंपर, जेसीबी नदी में पहुंच जाते हैं। सुबह आठ बजे तक बजरी स्टॉक करते हैं। इसके बाद वाशिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अनावश्यक जल दोहन के की वजह से अधिकांश बोरवेल नकारा हो चुके।

जल्द होगी कार्रवाई

प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एसडीओ देवदत्त मुदगिल ने बताया कि डार्कजोन में बजरी वाशिंग प्लांट लगाने इजाजत नहीं है। कृष्णावती नदी में कई बार सील और तोड़फोड़ कार्रवाई हो चुकी। जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार जल्द ही वाशिंग प्लांट बंद करवाए जाएंगे।

Link to access online:
https://www.amarujala.com/haryana/mahendragarh-narnaul/91499794404-mahendragarh-narnaul-news

जागरण

बस नाम की रह गई है कृष्णावती नदी

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़) : राजस्थान के पाटन-नीमकाथाना के तीन पवित्र धामों गावड़

BY
EDITED BY:
UPDATED: TUE, 10 MAY 2016 06:35 PM (IST)

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़) : राजस्थान के पाटन-नीमकाथाना के तीन पवित्र धामों गावड़ी-गणेश्वर व बालेश्वर से निकलने वाली कृष्णावती नदी बस अब नाम की ही रह गई है। राजस्थान सरकार ने इसके उद्गम स्थल की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे ही काचरेड़ा में एक विस्तृत बांध बना दिया। इसके बाद से नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है।
बांध बनने से पूर्व यह नदी पूरे साल बहा करती थी, जिससे नांगल चौधरी व नारनौल सहित करीब तीन सौ गांवों के लिए यह वरदान समझी जाती थी।

राजस्थान सरकार ने 1985 में बना दिया था बांध

क्षेत्र में 1976-77 में हुई भारी बारिश में कृष्णावती नदी ने विस्तृत रूप धारण कर लिया था। पानी के बहाव से इसकी चौड़ाई भी काफी बढ़ी थी। बुजुर्ग बताते हैं कि 70 के दशक में नदी लगभग बारह मास तक बहती रहती थी। लोग इसके पवित्र जल को पीकर अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन 70 के दशक के बाद धीरे-धीरे बरसात के दिनों में कमी आती गई और नदी का प्रवाहित जल भी कम होने लगा। इसके बाद राजस्थान सरकार ने नदी के उद्गम स्थल पर बांध का निर्माण करवा दिया, जिससे नदी का पानी रुक गया। इसके बाद से यह नदी सिर्फ बरसाती नदी बनकर रह गई। क्षेत्र में 1996, 1999 व 2010 में हुई तेज बारीश में नदी में पानी आ पाया था।

अब अवैध बजरी खनन से हो रही विलुप्त

किसी भी क्षेत्र के जल स्त्रोत्र उस क्षेत्र के लिए जीवनदायनी होते हैं। कृष्णावती भी यहां की जीवनदायनी मानी जाती है, लेकिन बरसात की कमी व नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन से कृष्णावती अब अपना स्वरूप खोती जा रही है। नदी में माफिया ने इतनी गहरी खाइयां बना दी कि एक बरसात में तो खाइया ही नहीं भर पाएंगी। कई लोगों ने नदी पर अतिक्रमण कर रखा है। कुछ लोगों ने नदी को सपाट बनाकर खेत बना लिए हैं। इससे यह नदी धीरे-धीरे अपना स्वरूप गंवाती जा रही है।

बांध टूटने पर ही बनती है बहने की संभावना

राजस्थान में नदी पर बांध बनने से अब कृष्णावती बुजुर्गो की यादों तक ही सीमित होकर रह गई है। क्षेत्र में भारी बारिश से भी नदी के प्रवाहित होने की संभावना क्षीण नजर आ रही है, क्योंकि नांगल चौधरी क्षेत्र में भी नदी पर पांच जगह बांध बना दिए गए ताकि गांवों के जलस्तर में सुधार हो सके। राजस्थान के करीब एक हजार हेक्टेयर में बने बांध के टूटने पर ही नदी में पानी आने की संभावना बन सकती है। बांध में इतना पानी स्टोर हो जाता है जिससे करीब आठ सौ गांवों की निरंतर बारह महीने तक प्यास बुझाई जा सकती है। वर्तमान में बरसात के अभाव में नदी पर काचरेड़ा में बना विस्तृत बांध भी सूखा पड़ा है, जिससे समूचे नदी क्षेत्र में धूल के गुब्बार उड़ते नजर आते हैं। कभी नदी को आश्रय समझकर अपनी प्यास बुझाने वाले वन्य जीव भी पानी के लिए इधर-उधर भटकते नजर आते हैं।

Link to access online: https://www.jagran.com/haryana/mahendragarh-13995319.html

जागरण

होम ताज़ा चुनाव 2024 ब्रेकिंग राष्ट्रीय दुनिया मनोरंजन क्रिकेट लाइफस्टाइल MORE

शहर चुने ई-पेपर वेब स्टोरीज़ वीडियो Search Menu

बांधों से उबर नही पाई कृष्णावती

राजेश शर्मा, नांगल चौधरी : प्राचीन समय से ही राजस्थान के नीमकाथाना क्षेत्र के तीन धाम गांवड़ी, गणे

BY

EDITED BY:

UPDATED: TUE, 02 JUN 2015 04:07 PM (IST)

राजेश शर्मा, नांगल चौधरी : प्राचीन समय से ही राजस्थान के नीमकाथाना क्षेत्र के तीन धाम गांवड़ी, गणेश्वर व बालेश्वर धाम की पर्वत श्रृंखला की पवित्र धारा से बहने वाली कृष्णावती नदी उद्गम स्थल पर बने बांध तक ही सिमट कर रह गई है। नदी के उद्गम स्थल माने जाने वाले इन तीनों धामों में आज भी लोग डूबकी लगाकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा नदी के उद्गम स्थल पर्वत श्रृंखला के काचरेहड़ा में करीब चालीस वर्ष पूर्व बांध बनवा का नदी के पानी को रोक दिया था। इसके बाद से इस नदी का प्रवाह समय व घटते बरखा के दिनों के साथ फीका पड़ गया। बांध बनने से पूर्व नदी बारह मास बहती थी। इसलिए लोग कृष्णावती को बारहमासी नदी कहकर भी पुकारते थे। राजस्थान के पाटन स्थित पवित्र धामों के काचरेहड़ा बांध से बहने वाली यह नदी नांगल चौधरी व नारनौल के करीब पचास से अधिक गांवों से होकर रेवाड़ी के पटौदी के वीरान क्षेत्र में विलीन हो जाती है।

करीब चालीस वर्ष पूर्व कृष्णावती नदी में वर्ष भर पानी बहता रहता था। बुजुर्गों के मुताबिक 1977 में हुई मूसलधार वर्षा से नदी में जल के तेज बहाव से कृष्णावती का स्वरूप भी विस्तृत हो गया था। नदी में बारह महीने पानी बहता था जिससे यहां के लोगों के पास कृषि व पीने का पानी भरपूर मात्रा में था। यहां समूचे क्षेत्र की जमीन पर पैदावार होती थी। इससे अन्न का अटूट भण्डार था। लोग धार्मिक पर्वों पर नदी के जल में पुण्य की डुबकी लगाते थे।

अस्तित्व पर खतरा -

बजरी खनन माफिया द्वारा नदी से बजरी निकालकर मुनाफा कमाने की लालसा भी कृष्णावती के अस्तित्व के लिए ग्रहण बनकर रह गई। गत एक दशक से बजरी खनन माफिया ने बजरी खनन कार्य से निकल रहे रोड़े व कचरा नदी के बहाव क्षेत्र में डालकर इसके स्वरूप को विकृत कर दिया है। लंबे समय से नदी क्षेत्र में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर हो रहे बजरी खनन के कारण इसकी गहराई जमीन में दौ सौ फीट से भी नीचे चली गई है। वहीं कई जगहों पर लोगों ने नदी की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे अब नदी का अस्तित्व विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है।

बांध की स्टोरेज क्षमता के बाद ही आता है कृष्णावती में पानी

राजस्थान के पाटन के गांव काचरेड़ा-रायपुर में करीब नब्बे एकड़ में बने बांध की स्टोरेज क्षमता पूरी होने के बाद ही नदी में पानी आता है। पानी का बहाव इतना कम होता है कि पानी राजस्थान सीमा को भी पार नही कर पाता है। बांध का स्वरूप विस्तृत होने से नदी में पानी की उम्मीद लगातार होने वाली भारी बारिश से ही संभव हो पाता है।

जानकारी के मुताबिक नदी में 1977-1980 में अथाह जल का बहाव था। इसके बाद 1985-90 व 1997 की बारिश में नदी में तेज गति से जल का बहाव बना था। इसके बाद घटते वर्षा के दिनों से 2005 और 2010 में बहुत कम चार से पांच फुट ही पानी केवल दो दिन ही बह पाया था। इससे न तो यहां की सूखी धरती की प्यास बुझ पाई और न ही यहां के किसानों को अच्छे जल स्तर का शकुन ही मिल पाया।

राजस्थान सरकार से बातचीत से ही संभव है नदी में पानी

दशकों से बंद कृष्णावती नदी में पानी का बहाव राजस्थान सरकार से बातचीत से ही संभव हो सकता है। यदि प्रदेश सरकार पहल कर राजस्थान सरकार से यहां के सूखे से अवगत करवा बांध की स्टोरेज क्षमता कम करने का आग्रह करे तो बरसात के दिनों में हर वर्ष कृष्णावती में पानी का बहाव बन सकता है। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा नदी के उद्गम स्थल पर बनवाए गए बांध की स्टोरेज क्षमता इतनी अधिक है कि बरसात के अभाव में भी बांध में लबालब पानी भरा रहता है।

Link to access online: https://www.jagran.com/haryana/mahendragarh-12434898.html